

कुल सचिव
बीकानेर विश्वविद्यालय
बीकानेर



विषय:- स्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के निर्देशानुसार लेख है कि निम्नलिखित महाविद्यालय 1989 अधिनियम के पूर्व स्थापित होने एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करने के कारण उनके नाम के सामने अंकित वर्ष से स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों पर जारी किया जाता है:-

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम	स्थापना वर्ष	स्थायी एनओसी जारी करने का वर्ष
1.	बी.जे.एस. रामपुरिया जैन कालेज, बीकानेर	1957	1960
2.	श्री जैन पी.जी. कालेज, बीकानेर	1957	1960
3.	सेठ जी.एल. बिहानी एस.डी. पी.जी. कालेज, श्रीगंगानगर	1959	1962
4.	एस.जी.एन. खालसा महाविद्यालय, श्रीगंगानगर	1959	1962
5.	श्री नेहरू शारदा पीठ महाविद्यालय, बीकानेर	1965	1968
6.	एम.जी. इवनिंग कालेज, श्रीगंगानगर	1965	1968
7.	सोनादेवी सेठिया गर्ल्स कालेज, सुजानगढ़ जिला चुरू	1966	1969
8.	नेहरू मेमोरियल कालेज, हनुमानगढ़	1966	1969
9.	जी.वी. कालेज आफ आर्ट्स एण्ड साइंस महाविद्यालय, संगरिया जिला हनुमानगढ़	1968	1971
10.	ज्ञान ज्योति कालेज, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर	1971	1974
11.	मोहता कालेज, सादलपुर जिला चुरू	1974	1977
12.	शहीद भगतसिंह कालेज, रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर	1978	1981
13.	मीरा कन्या महाविद्यालय, संगरिया जिला हनुमानगढ़	1980	1983
14.	चुरू गर्ल्स कालेज, चुरू	1981	1984
15.	श्रीमती के.डी.जी. निरंजित गर्ल्स कालेज, सरदारशहर जिला चुरू	1981	1984
16.	दिनानी कन्या महाविद्यालय, बीकानेर	1987	1990

- संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धन प्राप्त करेगी ।
- संस्था द्वारा महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्त करना होगा ।
- संस्था द्वारा निर्धारित एग्जामेंट राशि संयुक्त खाते में जमा करानी होगी ।
- संस्था द्वारा अध्यापन हेतु मूलभूत आवश्यक सुविधायें उपलब्ध करानी होगी ।
- संस्था समय पर जारी राज्य सरकार / आयुक्त, कालेज शिक्षा, द्वारा निर्देशों की पालना करेगी ।
- संस्था पूर्व में जारी एन.ओ.सी. की समस्त शर्तों की पालना करेगी ।
- संस्था को वर्तमान एवं भविष्य में कोई वित्तीय सहायता देय नहीं होगी ।
- संस्था को स्थाई मान्यता इस शर्त पर जारी की जाती है कि संस्था द्वारा उपरोक्त शर्तों का कभी भी उल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही कर स्थायी मान्यता को आहरित (withdraw) भी किया जा सकता है ।

Recd
15/01/05

भवदीय,
10/1/05
(बी.एल.आर्य)
आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- उप सचिव (जे), मा0मुख्यमंत्री महोदय, (उच्च शिक्षा) राजस्थान, जयपुर ।
- निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
- निजी सचिव, मा. उच्च शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर ।
- उप सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
- विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
- जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर/बीकानेर/चुरू/हनुमानगढ़ ।
- सचिव, संबंधित महाविद्यालय ।
- निजी सचिव, आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
- कम्प्यूटर शाखा, आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
- संबंधित संस्था/ महाविद्यालय पत्रावली
- रक्षित पत्रावली ।

Enter'd in 22
8-4 before sec. Secy
15/01/05

10-1-05
संयुक्त-निदेशक (अनुदान)
कालेज शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर ।

3 cop



UNIVERSITY OF BIKANER, BIKANER

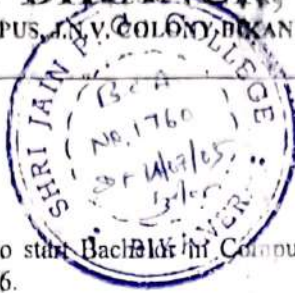
DUNGAR COLLEGE CAMPUS, L.V. COLONY, BIKANER-334003

Received
by Head University
office 3/12/2005
13/12/2005

No: F. ()/Acad./UOB/2005 / 13400

Date: 13/12/05

Principal
Sh. Jain PG College
Bikaner



Subject: Grant of Fresh Affiliation to start Bachelor in Computer Application (BCA) Part-I for the session 2005-06.

Dear Sir/Madam,

On the recommendation of the Inspection Committee the Vice-Chancellor has been pleased to grant fresh affiliation to your college for starting- **Computer Application (BCA) Part-I for 20 seats (Twenty Seats)** for the session 2005-06 subject to fulfillment of the conditions as mentioned below:-

- 1 To follow and observe the University Act, Statutes, Ordinances Regulations, Rules and instructions framed, amended, adopted and issued from time to time in General and specifically relating to:
 - (a) Admissions of students in all the courses.
 - (b) To follow curricula / course of study as prescribed by the University from time to time including scheme of examination and conduct of examinations.
 - (c) Appointment of Teaching / Sports / PTI / Library staff.
- 2 (i) **Staff:** Appointment of permanent and qualified Principal and Teaching staff on the full time basis selected by a duly constituted committee.
(ii) **Building:** Construction of sufficient building as per guideline of the State Govt. & University provisions, playgrounds and Hostel building.
(iii) **Library:** Year wise development of College Library and provision of funds for journals and magazines be made.
(iv) **Endowment Fund:** Sufficient Endowment fund as prescribed in rules be created.
(v) **Faculty Members:** At least two faculty members in each faculty be appointed as per the decision of the Vice Chancellor.
(vi) **Laboratory:** More equipments dummies cutting machines display Board etc.
(vii) Appointment of Permanent and qualified Principal, Librarian, P.T.I. as per university and government rules be made by the college immediately.
- 3 निरीक्षक महोदय द्वारा दी गई शर्तों की पालना हेतु :-
 - (i) To follow and observe all the rules ordinances, regulations, instructions framed amended, adopted and issued from time to time of the University of Bikaner.
 - (ii) Maximum numbers of seats-40
 - (iii) At least two faculty members be appointed for the BCA course as per the decision of academic council.
 - (iv) Proper network must be implemented in Laboratory.
 - (v) LCD Projector, software for BCA may be purchased immediately.

उपरोक्त दी गई शर्त की पालना कर अविलम्ब विश्वविद्यालय को सूचित करें।

4 महाविद्यालय द्वारा एन्डोमेन्ट फण्ड के संग्रस्त खाते में जमा करवाने के निर्धारित पत्र कुलसचिव महोदय व प्रबंधक के हस्ताक्षर, युक्त खात में जमा करावें।

5 To provide the information as asked for by the University time to time including statistics etc.

Further the application for extension in provisional affiliation for the session 2006 along with requisite fee may be this office before 31st December, 2005.

Your faithfully,

Registrar

Cor'd. 2

Entry is in
RA
to Put up with file
and already submitted
to see status on
telephone
14/12/05